प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

रिट याचिका क्र. 1201/1990

याचिकाकर्ता: प्रमोद कुमार फिलिप्स

विरुद्ध

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ अवसंरचना विकास निगम तथा अन्य

निर्णय की उद्घोषणा एवं आदेश के लिए दिनांक 16 अप्रैल 2012 को सूचीबद्ध करे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

रिट याचिका क्र. 1201/1990

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता: प्रमोद कुमार फिलिप्स

विरुद्ध

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ अवसंरचना विकास निगम तथा अन्य

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 तथा 227 के अंतर्गत रिट याचिका)

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

उपस्थित:

- श्री विनोद देशमुख, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता

- श्री प्रदीप सक्सेना, उत्तरवादी क्र. 1 की ओर से अधिवक्ता

(दिनांक 11 अप्रैल, 2012 को निर्णय उद्घोषित किया गया)

1. इस याचिका द्वारा, याचिकाकर्ता-कर्मचारी ने दिनांक श्रम न्यायालय, दुर्ग द्वारा प्रकरण क्र. 197/एमपीआईआर/87 (प्रमोद कुमार फिलिप्स बनाम डिपो प्रबंधक) में पारित आदेश दिनांक 30/06/1989 (अनुलग्नक-सी), तथा दिनांक 11-1-1990 आदेश (अनुलग्नक-डी) जो औद्योगिक न्यायालय द्वारा अपील क्र. 236/एमपीआईआर अधिनियम/89 (श्री प्रमोद कुमार फिलिप्स बनाम प्रभाग प्रबंधक) में पारित किया गया था की वैधता और शुद्धता को चुनौती दिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित हैं: प्रारंभ में, याचिकाकर्ता को दिनांक 26-2-1983 को मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (संक्षेप में "एमपीएसआरटीसी") में परिचालक के रूप में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता की सेवाएं दिनांक 30-1-1984 को पारित आदेश द्वारा समाप्त कर दी गईं। उक्त समाप्ति आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने श्रम न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया तथा श्रम न्यायालय ने दिनांक 5-4-1985 को पारित आदेश द्वारा समाप्ति आदेश को अपास्त किया तथा याचिकाकर्ता को पिछली मजदूरी के साथ सेवा में पुनः नियुक्त किए जाने का निर्देश दिया।

3. इसके पश्चात्, दिनांक 22-8-1986 को पारित आदेश द्वारा पुनः याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया इस आधार पर कि जब याचिकाकर्ता वाहन क्र. 6712 में नंदगांव से दुर्ग के बीच मार्ग पर परिचालक के रूप में कार्य कर रहे थे, तब उन्होंने 14 यात्रियों को टिकट के बिना ले गए। बर्खास्त आदेश याचिकाकर्ता को कोई नोटिस जारी किए बिना या उचित सुनवाई का अवसर दिए बिना तथा प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों का पालन किए बिना पारित किया गया।

4. इसके विरुद्ध, याचिकाकर्ता ने श्रम न्यायालय के समक्ष मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (संक्षेप में "यह अधिनियम, 1960") की धारा 31(3) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया। श्रम न्यायालय ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात्, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन को आदेश दिनांक 30-6-1989 को (अनुलग्नक-सी) द्वारा खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरुद्ध, याचिकाकर्ता ने औद्योगिक न्यायालय में अपील दाखिल की। उक्त अपील को भी औद्योगिक न्यायालय द्वारा मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों पर ठीक से विचार किए बिना खारिज कर दिया गया। अतः यह याचिका प्रस्तुत की गई है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. याचिकाकर्ता-कर्मचारी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री देशमुख का तर्क यह है कि अधीनस्थ न्यायालयों इस तथ्य पर विचार करना चाहिए था, कि उत्तरवादी नियोक्ता ने एम.पी. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियम, 1963 (संक्षेप में "यह नियम, 1963") के नियम 12(1) तथा (4) के प्रावधानों का पालन नहीं किया, क्योंकि बर्खास्ती आदेश जारी किए जाने से पहले उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई/जांच शुरू नहीं की गई थी। अधीनस्थ न्यायालयों ने याचिकाकर्ता

के कथन के साथ-साथ श्री बी.पी. द्विवेदी, डिपो प्रबंधक के कथन पर विचार नहीं किया, जिन्होंने अपने कथन में स्वीकार किया कि बर्खास्ती आदेश पारित किए जाने से पहले याचिकाकर्ता को कोई आरोप-पत्र जारी नहीं किया गया था तथा न ही उसके विरुद्ध विभागीय जांच आयोजित की गई थी। श्री देशमुख का अग्रेतर तर्क यह है कि उत्तरवादी नियोक्ता ने ऐसे किसी स्वतंत्र साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया जो कथित घटना के समय उपस्थित था तथा न ही उन यात्रियों के कथन दर्ज किए जिन्हें कथित रूप से बिना टिकट के बस में यात्रा करने का आरोप लगाया गया था।

6. दूसरी ओर, उत्तरवादी क्र. 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सक्सेना का तर्क यह है कि दिनांक 1-11-2000 से लागू नए राज्य छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात्, दिनांक 27-12-2002 को जारी अधिसूचना (अनुलग्नक-आर1/2) द्वारा केंद्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य तथा छत्तीसगढ़ राज्य के बीच देनदारियों तथा संपत्तियों के साथ-साथ कर्मचारियों का वितरण किया। उक्त अधिसूचना के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य (सीआईडीसी) ने केवल उन एमपीएसआरटीसी कर्मचारियों को प्राप्त किया जो दिनांक 1-1-2003 को सेवा में थे। श्री सक्सेना का अग्रेतर तर्क यह है कि चूंकि याचिकाकर्ता को 1986 में सेवा से समाप्त कर दिया गया था, इसलिए सीआईडीसी का याचिकाकर्ता के मामले में कोई भूमिका नहीं है। अतः याचिकाकर्ता सीआईडीसी से किसी भी राहत के लिए हकदार नहीं है तथा याचिका को अपास्त किया जा सकता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. मैंने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, याचिका तथा उसमें अनुबद्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

8. श्रम न्यायालय ने निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए:

| क्रम | मुद्दा | निर्णय |

|-----|--------|--------|

| (क) | क्या कर्मचारी लिखित कथन में कथित कदाचार का दोषी है | हां |

| (ख) | क्या 22.09.1986 को पारित समाप्ति आदेश शून्य, अवैध या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है | नहीं |

| (ग) | राहत तथा खर्च | कोई नहीं |

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. श्रम न्यायालय का निष्कर्ष यह था कि कदाचार दिनांक 31-3-1986 की घटना से संबंधित है, जिसमें कर्मचारी ने बिना टिकट के यात्रियों को ले गए, तथा दूसरी बार दिनांक 17-4-1986 को, जहां 14 यात्रियों ने बिना टिकट के यात्रा की, तथा इसलिए दोनों घटनाएं कदाचार के समान हैं। डिपो प्रबंधक, श्री बी.पी. द्विवेदी की दिनांक 31-3-1986 की पहली घटना के संबंध में परीक्षा ली गई। लिखित कथन में कहा गया कि याचिकाकर्ता को रुपये 300/- की राशि का दंड लगाया गया था। दूसरी घटना के संबंध में, यह कहा गया कि याचिकाकर्ता ने निरीक्षकों को टिकट बुक तथा संग्रहण वाउचर देने से इनकार कर दिया तथा उनके साथ दुर्व्यवहार किया। पंचनामा तैयार किया गया तथा कथन दर्ज किए गए। हालांकि

यह कहीं भी उल्लेखित नहीं है कि समाप्ति आदेश पारित किए जाने से पहले क्या कोई जांच आयोजित की गई थी।

10. श्रम न्यायालय ने विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दिए गए कथनों पर विचार करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि याचिकाकर्ता कदाचार के लिए दोषी है तथा उस पर लगाई गई सजा उचित तथा न्यायसंगत है। अपील में, औद्योगिक न्यायालय ने दिनांक 11-1-1990 को पारित आदेश (अनुलग्नक डी) द्वारा श्रम न्यायालय द्वारा पारित किए गए निष्कर्ष तथा आदेश की पुष्टि की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. इस न्यायालय के समक्ष, उत्तरवादी क्र. 1 ने विभागीय जांच के संबंध में, विशेष रूप से, इस बात के अलावा कुछ नहीं कहा कि एमपीएसआरटीसी के विघटन पर, दिनांक 13-12-2002 को जारी अधिसूचना द्वारा, याचिकाकर्ता उत्तरवादी क्र. 1 से किसी भी राहत के लिए हकदार नहीं था।

12. नियम 11, 1963 के नियम नियोजन की समाप्ति तथा नियोक्ता तथा कर्मचारी को इसकी सूचना देने से संबंधित है। नियम 11 का खंड (क) यह प्रदान करता है कि किसी स्थायी कर्मचारी के नियोजन को समाप्त किए जाने से पहले, उसे एक माह की सूचना दी जाए या सूचना के स्थान पर एक माह की मजदूरी का भुगतान किया जाए। स्थायी कर्मचारी के अलावा कोई भी कर्मचारी अपनी सेवा की समाप्ति के लिए किसी भी ऐसी सूचना या सूचना के स्थान पर मजदूरी के लिए हकदार नहीं है।

13. नियम 1963 के नियम 12(1) 'प्रमुख कदाचार' की परिभाषा निर्धारित करते हैं। नियम 12(4) यह प्रदान करता है कि किसी कर्मचारी को तब तक दंडित नहीं किया जाएगा जब तक कि कर्मचारी के कार्यों या चूकों को प्रमुख कदाचार के रूप में योग्य न माना जाए तथा जांच को कहे गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित तरीके से आयोजित किया जाए। नियम 12(4) का खंड (क) यह प्रदान करता है कि कर्मचारी को कदाचार का आरोप तथा उसके विरुद्ध दिखाई देने वाली परिस्थितियों तथा व्याख्या की आवश्यकता वाली जानकारी दी जाएगी। प्रमुख कदाचार के आरोप के मामले में कर्मचारी को अपनी व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 72 घंटे का समय दिया जाएगा। कर्मचारी को स्वयं द्वारा या कर्मचारियों के प्रतिनिधि द्वारा अपना बचाव करने की अनुमति दी जाएगी, यदि वह इच्छुक हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. हाथ में लिए गए मामले में, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि दिनांक 22-8-1986 को पारित समाप्ति आदेश से पहले कोई जांच नहीं की गई थी। याचिकाकर्ता को एमपीएसआरटीसी द्वारा समाप्त किया गया था। एमपीएसआरटीसी को प्रारंभ में उत्तरवादी पक्ष के रूप में दर्ज किया गया था, बाद में इसे हटाया गया तथा छत्तीसगढ़ अवसंरचना विकास निगम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

15. श्रम न्यायालय के आदेश का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि डिपो प्रबंधक, निरीक्षक तथा चालक की परीक्षा ली गई थी। याचिकाकर्ता को उनकी जिरह करने का अवसर दिया गया था। श्रम न्यायालय के समक्ष की कार्यवाही के दौरान तथा विचार करने पर, यह पाया गया कि याचिकाकर्ता बिना टिकट के यात्रियों को ले जाने के लिए दोषी है। यह नियम, 1963 के प्रावधानों के अंतर्गत कदाचार के समान है। अतः यह कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।

16. श्रम न्यायालय को अधिनियम, 1960 की धारा 61 के अंतर्गत इसे दिए गए विवाद का निर्णय करने की अतिरिक्त शक्तियां हैं, तथा विवाद का निर्णय करते समय, यदि कोई जांच नहीं की गई है, तो श्रम न्यायालय संबंधित पक्षों को उचित सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उचित जांच आयोजित कर सकता है।

17. नियम, 1963 के नियम 12(4) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें स्थायी कर्मचारी को केवल व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए नोटिस दिया जाता है, यह नहीं कहा जा सकता है कि अन्य सेवा नियमों में जैसा चिंतित किया गया है, वैसा ही उचित जांच होनी चाहिए। यह स्पष्ट है कि श्रम न्यायालय द्वारा उचित जांच आयोजित की गई थी। याचिकाकर्ता को समाप्ति आदेश पारित किए जाने से पहले श्रम न्यायालय द्वारा सुनवाई का उचित अवसर दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. यह एक सुप्रतिष्ठित सिद्धांत है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को एक कठोर सूत्र में नहीं डाला जा सकता। इसे किसी दिए गए मामले में तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि नुकसान दिखाई न दे। यह आवश्यक नहीं है जहां यह एक व्यर्थ व्यायाम होगा। (देखें: अशोक कुमार सोनकर बनाम भारत संघ तथा अन्य[1], कंडिका 27 पृष्ठ 66)।

19. हाथ में लिए गए मामले में, याचिकाकर्ता ने यह स्थापित नहीं किया है कि जब उसे श्रम न्यायालय के समक्ष सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया था तथा कदाचार के आरोप को याचिकाकर्ता को सुनवाई का

1 (2007) 4 एसीसी 54

पूर्ण अवसर देने के पश्चात् सिद्ध किया गया था, तो समाप्ति आदेश पारित किए जाने से पहले जांच आयोजित की गई होती तो वह कैसे नुकसान में रहता।

20. सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम तथा अन्य बनाम दीन दयाल शर्मा[2] के मामले में निम्नलिखित प्रेक्षण किए:

> "15. यह विधिक स्थिति कि स्थायी आदेशों के पास कोई सांविधिक बल नहीं है तथा वे प्रत्यायोजित/अधीनस्थ विधान की प्रकृति में नहीं हैं, इस न्यायालय द्वारा कृष्ण कांत में स्पष्ट रूप से कहा गया है। उस मामले (कृष्ण कांत) में, इस न्यायालय ने कंडिका 35(6) में विधिक सिद्धांतों का सारांश प्रस्तुत करते हुए कहा है कि औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के तहत प्रमाणित रूप में तैयार किए गए स्थायी आदेश सांविधिक रूप से लागू सेवा की शर्तें हैं तथा नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों दोनों के लिए बाध्यकारी हैं, हालांकि वे 'सांविधिक प्रावधानों' का गठन नहीं करते हैं, तथा इन स्थायी आदेशों का कोई भी उल्लंघन कर्मचारी को औद्योगिक विवाद अधिनियम द्वारा बनाए गए मंच के समक्ष या नागरिक न्यायालय के समक्ष उचित राहत के लिए हकदार बनाता है, जहां इसमें निहित सिद्धांतों के अनुसार नागरिक न्यायालय का सहारा लिया जा सकता है।"

हाथ में लिए गए मामले में, अधिनियम या नियम, 1963 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने का कोई शिकायत नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---

2 (2010) 6 एसीसी 697

21. याचिकाकर्ता अमर चक्रवर्ती तथा अन्य बनाम मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड[3] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करता है, जो वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि उक्त विवाद औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के अंतर्गत उत्पन्न हुआ था, जिसमें कदाचार की जांच आवश्यक थी।

22. हाथ में लिए गए मामले में, नियम, 1963 के नियम 11 तथा 12(4) के प्रावधानों के अंतर्गत, एक स्थायी कर्मचारी को केवल जवाब देने के लिए नोटिस दिया जाता है। नियम, 1963 के नियम 11 के साथ-साथ 12(4) के प्रावधानों के विरुद्ध कोई चुनौती नहीं है।

23. सतवती देसवाल बनाम हरियाणा राज्य तथा अन्य[4] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, जिस पर याचिकाकर्ता भरोसा करता है, वर्तमान मामले के तथ्यों पर भी लागू नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. यह याचिकाकर्ता का प्रकरण नहीं है कि याचिकाकर्ता की समाप्ति छंटनी का एक प्रकरण है, तथा जैसा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा कारखाना प्रबंधक, सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, ग्वालियर तथा अन्य बनाम नरेश चंद्र सक्सेना तथा अन्य[5] में दिए गए निर्णय पर याचिकाकर्ता की निर्भरता वर्तमान स्थिति में लागू नहीं है।

25. मामले के उपरोक्त तथ्यों तथा परिस्थितियों को देखते हुए, एमपीएसआरटीसी के बीच दायित्व के आवंटन के मुद्दे पर निर्णय देना आवश्यक नहीं है, जो इस न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं है, तथा उत्तरवादी क्र. 1 - छत्तीसगढ़ अवसंरचना विकास निगम।

---

3 [2011 (128) एफ़एलआर 564] (एससी)
4 (2010) 1 एसीसी 126
5 1984 एमपीएलजे 402

26. वर्तमान मामले के तथ्यों पर अच्छी तरह से स्थापित विधि के सिद्धांतों को लागू करते हुए तथा उपरोक्त कारणों के लिए, रिट याचिका, योग्यता से रहित होने के नाते, अपास्त की जा सकती है तथा इसके द्वारा अपास्त कर दी जाती है।

27. व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा ।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा तथा कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By **Shaantam Patil**